कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला मूल्याकंन समिति, जिला सीहोर
मध्यप्रदेश

क्रमांक/05/जि.पं./गा.ला./2015–16 सीहोर, दिनांक 31 मार्च, 2015

–:: आदेश ::–

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं 2) की धारा 47(क) के साथ पठित, धारा 75 के अधीन राज्य शासन द्वारा स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य के लिए बनाये गये नियमों, "मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों " का बनाया जाना एवं उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के संशोधित नियम 2(एक)(घ) के तहत उप जिला मूल्याकंन समितियों द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए बाजार मूल्य की दरों के प्रस्ताव जिला मूल्याकंन समिति को प्रस्तुत हुए।

जिला मूल्याकंन समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर समग्र रूप से विचार कर नियमों में विहित प्रक्रिया अनुसार बाजार मूल्य की दरों का युक्तियुक्तकरण कर नियम – 7 में विहित प्रारूप–एक (नगरीय भूखण्डों के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत) प्रारूप–दो (निर्मित नगरीय संपत्तियों के बाजार मूल्य के मार्गदर्शक सिद्धांत) प्रारूप–तीन (कृषि भूमि के बाजार मूल्य के मार्गदर्शक सिद्धांत) में जिला मूल्याकंन समिति द्वारा तय की गई अनंतिम न्यूनतम दरों के प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्याकंन बोर्ड को अनुमोदन हेतु भेजे गये।

केन्द्रीय मूल्याकंन बोर्ड द्वारा पत्र कमांक 1762/गा.ला./2015 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2015 से नियम 3 (2) में भू–खण्डों, भूवनों एवं कृषि भूमि की दरों के कियान्वयन के लिए जारी किये गये उपबंध एवं जिला मूल्याकंन समिति द्वारा प्रस्तावित बाजार मूल्य की दरें अनुमोदन उपरांत नियम 2(एक)(घ) के तहत सीहोर जिले में स्थित स्थावर संपत्ति (भू–खण्ड, भवन एवं कृषि भूमि) के बाजार मूल्य की संगणना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत (गाइड लाइन) वर्ष 2015–16 के लिए विहित प्रारूप–"क" पर जिले के उप पंजीयकों द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47–क की उपधारा (1) के अधीन निर्देश के प्रयोजन हेतु जारी की जाती है।

उपरोक्त दरें दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले लिखतों से अन्तरित संपत्ति जो कि लिखत की विषय वस्तु है, के बाजार मूल्य के लिए लागू होगी।

यह आदेश दिनांक 01.04.2015 से प्रभावशील होगा।

(डॉ. सुदाम खाडे)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला मूल्याकंन समिति
जिला सीहोर(म0प्र0)

पृ.क्र./05/जि.पं./गा.ला./2015–16 सीहोर, दिनांक 31 मार्च, 2015
प्रतिलिपि :–

1. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अध्यक्ष केन्द्रीय मूल्याकंन बोर्ड मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर।
2. उप महानिरीक्षक पंजीयन भोपाल–नर्मदापुरम संभाग मध्यप्रदेश भोपाल की ओर।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अध्यक्ष उप जिला मूल्याकंन समिति, सीहोर, आष्टा, बुधनी, नसरूल्लागंज, इछावर की ओर।
4. समस्त उप पंजीयक, सीहोर, आष्टा, बुदनी, नसरूल्लागंज, इछावर एवं दोराहा जिला सीहोर की ओर पालनार्थ।
5. स्टेनो–टू कलेक्टर जिला सीहोर की ओर।

(डॉ. सुदाम खाडे)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला मूल्याकंन समिति
जिला सीहोर(म0प्र0)

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल–462003)

क्रमांक 1762/गा.ला./2015 भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

प्रति,

कलेक्टर
सीहोर

विषय :– मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के तहत बाजार मूल्यों की गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के अनुमोदन बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयक आपके जिले से प्राप्त अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य की गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 30.03.2015 एवं 31.03.2015 में अनुमोदन उपरांत संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

2. गाईड लाईन वर्ष 2015–16 के प्रत्येक पृष्ठ पर अधोहस्ताक्षारित द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। अचल सम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, अतः गाईड लाईन के किन्हीं पृष्ठों पर यदि आपके हस्ताक्षर छूटे हुए हों, तो उन पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित करें।

3. प्रदेश में निर्माण दरों में एकरूपता लाए जाने की दृष्टि से केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा संलग्न अनुसार निर्माण दरों का अनुमोदन किया गया है। केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा वर्ष 2014–15 के उपबंधों को ही वर्ष 2015–16 के लिए भी यथारूप अनुमोदित किया गया है। उपबंधों में एकरूपता लाने की दृष्टि से सभी जिलों के लिए एक जैसे उपबंध रखने का निर्णय लिया गया है। अतः इन उपबंधों को गाईड लाईन में सम्मिलित कर दिनांक 01.04.2015 से अपने जिले में गाईड लाईन प्रभावशील की जाना सुनिश्चित करें।

4. कृपया इन अनुमोदित गाईड लाईन दरों के अनुसार ही यथाशीघ्र ''सम्पदा'' के एप्लीकेशन मॉड्यूल में दरों की प्रविष्टियां कराएं, तथा वर्ष 2015–16 के पंजीयन दस्तावेजों के लिए उपयोग में लायें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन कमांक 1763 /गा.ला./2015 भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

प्रतिलिपिः—

1. परिक्षेत्रिय उप महानिरीक्षक पंजीयन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. जिला पंजीयक सीहोर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2015—16 की गाईड लाईन दिनांक 01.04.2015 से जिले के समस्त उप पंजीयक कार्यालयों में प्रभावशील की जाना, तथा इसकी स्केन्ड कॉपी वेबसाईट पर प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश